# कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

## — आदेश :—

डिप्टी कमाण्डेंट, 12वीं वाहिनी, एस.एस.बी. किशनगंज के पत्र संख्या 3931—32, दिनांक 25.04.2015 द्वारा कांस्टेबल (जी.डी.) पद पर किशनगंज में बहाली हेतु परीक्षा के आयोजन के **निमित्त दिनांक 25.05.2015 से 24.06.2015 तक के लिए** खगड़ा स्टेडियम आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आलोक में स्थानीय शहीद अशफाकुल्लाह खाँ स्टेडियम (खगड़ा स्टेडियम), खगड़ा को दिनांक 25.05.2015 से 24.06.2015 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपयोग करने के लिए अनुमति दी जाती है :

1. स्टेडियम उपयोग के उपरांत यथास्थिति में उक्त स्टेडियम वापस करने का उत्तरदायित्व एस.एस.बी., 12वीं वाहिनी, किशनगंज की होगी।
2. किसी भी आकस्मिक घटना यथा अभ्यर्थी की मृत्यु / घायल / आगजनी / तोड़फोड़ आदि की जवाबदेही संबंधित की होगी।
3. वर्त्तमान तेज गर्मी / धूप / लू के मद्देनजर आकस्मिक चिकित्सा हेतु आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था।
4. अपरिहार्य स्थिति में अल्प अवधि में भी स्टेडियम का उपयोग वर्जित रहेगा।

कांस्टेबल (जी.डी.) पद पर बहाली हेतु अधिक संख्या में अभ्यर्थी भाग लेंगे। अतः विधि—व्यवस्था एवं शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज रेलवे स्टेशन / बस स्टैंड एवं अन्य सम्बन्धित स्थानों का आकलन कर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल सर्जन, किशनगंज किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार / मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस आदि तैयार रखेंगे।

जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज अग्निशाम दस्ता को तैयार हालत में रखेंगे।

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज विधि—व्यवस्था एवं शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति ससमय सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही, उक्त अवधि में शहर में सघन गश्ती भी करवाना सुनिश्चित करेंगे।**

ह. / —
**(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)**
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 771 / सी.,किशनगंज, दिनांक 07.05.2015.

प्रतिलिपि :— डिप्टी कमाण्डेंट, 12वीं वाहिनी, एस.एस.बी., किशनगंज को इंगित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— स्टेशन प्रबंधक, किशनगंज रेलवे स्टेशन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— सिविल सर्जन / जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— डी.आर.एम., कटिहार / वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल, कटिहार / पुलिस अधीक्षक (रेल), कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, साई सेंटर, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय किशनगंज को सूचनार्थ एवं सभी सम्बन्धितों को ई—मेल से सूचना भेजते हुए जिला के आधिकारिक वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :— अपर समाहर्त्ता / उप विकास आयुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।